रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4)] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 8, 1972/माघ 19, 1893

No. 4)] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 8, 1972/MAGHA 19, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food

ORDER

New Delhi, the 8th February 1972

G.S.R. 72(E)/Ess. Com./Sugar.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and clause 6 of the Sugar (Control) Order, 1966, the Central Government hereby makes the following Order to amend the Sugar (Restrictions on Movement) Order, 1972, namely:—

1. (1) This Order may be called the Sugar (Restrictions on Movement) Amendment Order, 1972.

(2) It shall come into force at once.

2. In the proviso to clause 2 of the Sugar (Restrictions on Movement) Orders, 1972,—

(1) for clause (ii), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(ii) by a recognised dealer in one State from a vacuum pan sugar factory in another State; or

(ii-a) to Sikkim by a nominee of the Government of Sikkim or to Bhutan by a nominee of the Government of Bhutan; or";

(2) the following Explanation shall be added at the end, namely:—

"*Explanation.*—For the purposes of clause (ii), if the transport of sugar is covered by a gate pass issued by the Central Excise authorities attached to a vacuum pan factory, it will be treated as transport from the vacuum pan factory.".

[No. 1-1/72-S. Py.]

S V. SAMPATH, Jt. Secy.

कृषि मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1972

सा० का० नि०-72(अ)आ० स०/शर्करा—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 तथा शर्करा (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा शर्करा (संचालन पर निर्बंधन) आदेश, 1972 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) यह आदेश शर्करा (संचालन पर निर्बंधन) आदेश, 1972 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगा।

2. शर्करा (संचलन पर नियंत्रण) आदेश, 1972 के खण्ड 2 के परन्तुक में,—

(1) खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

"(ii) किसी राज्य में मान्यता प्राप्त व्यवहारी द्वारा किसी अन्य राज्य में निर्वात कड़ाई शर्करा कारखाने से; या (ii)-(क) सिक्किम सरकार के किसी नामनिर्देशिती द्वारा सिक्किम को या भूटान सरकार के नामनिर्देशिती द्वारा भूटान को; या":

(2) अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**.—यदि शर्करा का परिवहन किसी निर्वात कड़ाई कारखाने से संबद्ध केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी किये गए द्वार-पत्र के अन्तर्गत आता है तो खंड (ii) प्रयोजनों के लिए उसे निर्वात कड़ाई कारखाने से परिवहन समझा जायेगा।

[सं० 1-1/72-एस०पी०वाई०]

एस० वी० सम्पथ, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972